RAJYASABHA

Wednesday, the 30 *April,* 2008/10 *Vaisakha,* 1930 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 521.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): सभापति जी, आज मेरे प्रश्न का नोटिस है। आज मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि केन्द्र हमारे प्रति इतना भेदभाव बरत रहा है कि हमारी बिजली काट दी, हमारा राशन काट दिया। ...(**व्यवधान**)...

हमारा कोयला भी काट दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सुषमा जी, आपका नोटिस मुझे मिल गया है और आप इस पर अपनी बात 12 बजे कह दीजिए ।
have received your notice.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, विषय इतना गंभीर है, इसलिए होना तो यह चाहिए था कि आप मुझे अभी इस विषय पर बोलने देते।

श्री सभापति: 12 बजे ठीक रहेगा, ताकि प्रश्न काल चल सके।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सभापति जी, मध्य प्रदेश के साथ इतना अन्याय हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपका नोटिस मिल गया है, इसलिए आप 12 बजे बोल दीजिए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, ये बाजू में बैठे है और ये अपने मुंह पर ताला लगाए रहते हैं कुछ बात करना चाहते हैं आप इनका कुछ तो ख्याल करिए। ...(**व्यवधान**)... ये बोल नहीं पाते हैं ...(**व्यवधान**)... बताइए, अभी।

श्री सभापति : ये मेरे दोस्त हैं ...(**व्यवधान**)... मेरे दोस्त हैं।

Extension of NREGS benefits to farming community

*521. SHR1 B.J, PANDAS-MS.
MABEL REBELLO:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to extend National Rural Employment Guarantee Schenu NREGS) benefits to the farming community;

(b) if so, the details thereof;

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri B.J Panda

(c) whether Government proposes to grant labour subsidy to the farmers to work on their own fields to help control migration from rural areas and to address their distress; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRIRAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) NREGA is demand based. The Act provides a legal guarantee of 100 days of employment to every rural household in a financial year whose adult members volunteer to. , do unskilled manual work. Thus, all rural households including the farming community may benefit under NREGA if they register and obtain job cards and apply for doing unskilled manual work. Para l(iv) of Schedule I of the Act provides for provision of irrigation facility, horticulture plantation and land development facilities on land owned by households belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to Below Poverty Line families or to beneficiaries of land reforms or to the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India.

(c) and (d): No such proposal is under consideration of this Ministry. NREGA woks are taken up on the public land. However, para 1 (iv) of Schedule I of the NREG Act stipulates works to be carried out on the individual land as detailed in reply to Part (a) & (b) of the Question. Wages to the unskilled labourers working on all projects taken up under NREGA .

are entirely borne by the Central Government.

SHRI B.J. PANDA: Sir, even last year, in the deliberations on this issue, this matter had been raised by many hon. Members that the NREG Scheme be made applicable to farmers who are tilling their own land and the hon. Minister, even last year, had not referred to this issue. In today's reply, which is laid on the Table of the House, it has been stated that the Scheme is eligible for farmers who are in the SC/ST category and the BPL farmers who own their own land. We know that it is already applicable to SC/ST categories. But, we are talking about the other categories OBC, General and other poor farmers. But, there is an anomaly here. If it is applicable only to farmers who are BPL but own land, then there is a contradiction. I am sure, the hon. Minister will appreciate. Farmers who own land", normally, do not come ' under the BPL category. They will be above the poverty line. We are talking about the large number of farmers who are, actually, BPL and desperately need this facility and who do not own their own land.

MR. CHAIRMAN: You put your question.

SHRI B.J. PANDA: Sir, my supplementary is: Will the hon. Minister consider making this Scheme applicable to farmers who are in distress and do not own land to prevent large-scale migration from States like Orissa.

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो कानून बना हुआ है और उसमें जो प्रावधान है, माननीय सदस्य को जो सूचना चाहिए, हमने उसकी जानकारी दी है। जो शैडयूल्ड ट्राइब्स के किसान है, अभी तक उनकी निजी ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने का, डवलप करने का काम है, इसका प्रावधान है और इस पर काम हो भी रहा है। अभी तक 2 लाख 62 हजार किसानों के खेत में सिचाई और डवलेपमेंत का काम हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें बड़े किसान के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ताकि उनकी जमीन में काम हो सके।

SHRI B J. PANDA: Sir, I have high regard for the hon. Minister. But, I am afraid that the

question is just being evaded. The question is not about large land owners or farmers. But, the question is about the poor BPL farmers who are in SC/ST category. We know that the SC/STs farmers are already covered. But, we are talking about the poor OBC, General and other poor farmers who do not down their own land ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let the question be finished.

SHRI B.J. PANDA: Please hear my question. I don't think any of you are anti-farmer. Please hear my question.

Sir, my question is: The economics of farming is so badly affected in parts of the country, particularly my State Orissa. I do not know about your States. Money that is being given for manual labour, unskilled labour and these farmers exactly fell in that category. They conduct manual, unskilled labour on other people's land. So, the farm economics is seriously affected. It would give boost to them if they are included. It would also help our food crisis and the high prices that we are facing if this scheme is extended to make it available to farmers who work on other people's land, who do not own land and who are doing unskilled manual labour in farms.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इस एन आर ई जीए के क्षेत्र में काम करने के लिए चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे कोई भी हों, जो physical labour करना चाहेंगे, उनको तो छूट है ही ...(**व्यवधान**)... जिन्हें आप भूमिहीन किसान कहते हैं, तो भूमिहीन किसान तो मजदूर ही हुए ना। उनके लिए तो प्रावधान है ही।

श्री बी0जे0 पंड़ा: सर, उनके लिए नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है ।

श्री रघुंवश प्रासद सिंह: कोई किसान हो या मजदूर हो ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव : ये बटाईदार के बारे में बोल रहे हैं।

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: कोई बटाईदारी कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, उस खेत में एन आई जी ए की सहायता लेकर उनको डेवलपमेंट करने के लिए अभी तक इसमें प्रावधान नहीं है।

MS. MABEL REBELLO: Sir, I would like to know whether the Government proposes to establish a technical expert group, as recommended by Dr. M.S. Swaminathan, so that small and marginal farmers, who are definitely below poverty level, can creat permanent assets, such as, water harvesting, wells and ponds for irrigation, horticulture, land development, etc. in their own land. In the reply, the hon. Minister has said that schedule 1 of the Act provides the provision for all these facilities for Below Poverty Line families. And, since these small and marginal farmers definitely fall in the category of the BPL families, I would like to know what he proposes to do.

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, तो हमने इसे नोट कर लिया है। हम इसमें देखेंगे कि क्या हो सकता। है। अभी तक यह कानून में नहीं है, वह हमने बता दिया।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, कई प्रस्ताव इसमें कार्यान्वित हो रहे हैं। जो गरीबों की जमीन है, उसमें तालाब, कुआँ खोदने का, उसको डेवलप करने का काम already हम कर रहे हैं। उसकी सूचना बार-बार दी जा रही है कि उसमें बड़े पैमाने पर water conservation का काम minor irrigation का काम चेक डैम बनाने का काम drought-profing का काम, ये सब काम हो रहे है।

सुश्री मैबल रिबैलो: डा0 स्वामीनाथन ने जिस technical support group के बारे में recommend किया है, technical support group establish आप वह technical support group establish करेंगे? मैं यह पूछ रही हूँ, ताकि उनको technical support मिले और smalll and marginal farmers को help मिले।

श्री रघुंवश प्रसाद सिह: महोदय, यहाँ technical secretariat का गठन हो गया है उसमें काम शुरू हो गया है। technical expert के सहयोग की जरूरत है। जिला लेवल पर जो काम हो रहा है, उसमें भी technical support की जरूरत है। यहाँ सेंट्रल लेवल पर हमने इसे कर लिया है। हमने राज्य सरकारों को भी कहा है कि इसमें पूरा technical support, प्रोफेशनल लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे जो भी योजना बने, वह technically fit रहे और लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो।

SHRI P.R. RAJAN: Sir, my question is on a different aspect. According to the present norms in the Act, a limited number of works can be taken up. But there is ample scope in the scheme, and the society also needs the same. So, I would like to know whether there is any proposal before the Government to expand the scheme so as to take up more works, especially to increase production and employment opportunities.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार के लिए सवाल उठाया है, तो देश भर के सभी हिस्सों में इसे लागू कर दिया गया है। अब काम के सम्बन्ध में उन्होंने जिज्ञासा की है, तो already जो एक्ट है, उसके प्रावधान में top priority water में water conservation and rural connectivity हैं। महोदय, इसले अलावा यह भी प्रावधान है कि उसमें किसी खास इलाके के लिए, किसी खास राज्य में या जिले में यदि राज्य सरकार उसमें कोई और नए तरह का काम जोड़ने की इच्छा रखती है,तो inconsultation with the State Governement नए कामों को भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए इसमे विस्तार की सम्भावना हमेशा बनी हुई है और यदि राज्या सरकार से कोई प्रस्ताव आए, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, अभी जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें मेरा उत्तर मिल गया है, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूं।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभपति महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और हमने 20 साल से भी ज्यादा एन आर ई जी एस चलाया है। मेरी ए और बी स्पेसिफिक क्वेरीज़ है। एक तो शेडयूल्ड कास्ट ओर शेडयूल्ड ट्राइब्स के किसानों के खेत में जो फार्म पौंड और बाकी कुंए खोदने का काम होता है, क्या यही बैनिफिट गरीब और सीमांत किसानों के लिए भी लागू किया जाएगा? यह मेरा'ए' प्रश्न है और 'बी' प्रश्न यह है कि बहुत जगह हमेने देखा है कि कलैक्टर के पास शैल्फ पर काम तैयार नहीं होता है, इसलिए जहां शैल्फ पर काम तैयार नही रखते हैं, चूकि यह काम मांग के आधार पर देना होता है, लेकिन काम तैयार नहीं है, तो शैल्फ पर काम रखने के लिए आप क्या तैयारी करते हैं। अगर यह नहीं है, तो अभी तक कहीं भी डोल नहीं दिया गया है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो सवाल उठाया है, अभी तक जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत शैडयूल्ड कास्ट शैडल्यूड ट्राइब्स अथवा इन्दिरा आवास के बैनिफिशियरीज़ इत्यादि की जमीन में ही अभी तक काम करने का प्रावधान है ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: वही तो मैंने पूछा है कि क्या आप यह विचार करेंगे या नहीं कि गरीब और सीमांत किसान के खेत में काम करने का प्रावधान हो। देखिए, मुद्दा इतना ही है कि अगर किसी भी खेत में फार्म पौंड या कुआं होता है तो उससे देश का, एग्रीकल्चर का फायदा ही होता है, लेकिन गरीब और सीमांत किसान कहां से पैसा लाएगा? उसे दूसरी किसी योजना में भी नहीं मिलता है, इसलिए एन आर ई जी एस में उसे भी क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या इस बार सरकार पॉजिटिवली विचार करेगी या नही?

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य सवाल अभी उठा रहे हैं, अभी तक तो इसका प्रावधान नहीं है , लेकिन अब आपने और कई माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है और जब माननीय सदस्य सवाल उठाएंगे, उस ओर सरकार का ध्यान खीचेंगे, तो हम लोग उस पर जरूर देखेंगे कि उसे कैसे किया जा सकता है अथवा उसका क्या उपाय है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार के लिए सवाल उठाया है, तो देश भर के सभी हिस्सों में इसे लागू कर दिया गया है। अब काम के सम्बन्ध में उन्होंने जिज्ञासा की है, तो already जो एक्ट है, उसके प्रावधान में top priority water में

हैं। महोदय, इसले अलावा यह भी प्रावधान है कि उसमें किसी खास इलाके के लिए, किसी खास राज्य में या जिले में यदि राज्य सरकार उसमें कोई और नए तरह का काम जोड़ने की इच्छा रखती है,तो inconsultation with the State Governement नए कामों को भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए इसमे विस्तार की सम्भावना हमेशा बनी हुई है और यदि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव आए, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री उदय प्रताप सिंह: सर, अभी जो प्रधन पूछे गए हैं, उनमें मेरा उत्तर मिल गया है, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूं।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभपति महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और हमने 20 साल से भी ज्यादा एन आर ई जी एस चलाया है। मेरी ए और बी स्पेसिफिक क्वेरीज़ है। एक तो शेडयूल्ड कास्ट आव्र शेडयूल्ड ट्राइब्स के किसानों के खेत में जो फार्म पौंड और बाकी कुंए खोदने का काम होता है, क्या यही बैनिफिट गरीब और सीमांत किसानों के लिए भी लागू किया जाएगा? यह मेरा'ए' प्रश्न है और 'बी' प्रश्न यह है कि बहुत जगह हमेन देखा है कि कलैक्टर के पास शैल्फ पर काम तैयार नहीं होता है, इसलिए जहां शैल्फ पर काम तैयार नही रखते हैं, चूकि यह काम मांग के आधार पर देना होता है, लेकिन काम तैयार नहीं है, तो शैल्फ पर काम रखने के लिए आप क्या तैयारी करते हैं। अगर यह नहीं है, तो अभी तक कहीं भी डोल नहीं दिया गया है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो सवाल उठाया है, अभी तक जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत शैडयूल्ड कास्ट शैडल्यूड ट्राइब्स अथवा इन्दिरा आवास के बैनिफिशियरीज़ इत्यादि की जमीन में ही अभी तक काम करने का प्रावधान है ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: वही तो मैं पूछा है कि क्या आप यह विचार करेंगे या नहीं कि गरीब और सीमांत किसान के खेत में काम करने का प्रावधान हो। देखिए, मुद्दा इतना ही है कि अगर किसी भी खेत में फार्म पौंड या कुआं होता है तो उससे देश का, एग्रीकल्चर का फायदा ही होता है, लेकिन गरीब और सीमांत किसान कहां से पैसा लाएगा? उसे दूसरी किसी योजना में भी नहीं मिलता है, इसलिए एन आर ई जी एस में उसे भी क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या इस बार सरकार पॉजिटिवली विचार करेगी या नही?

श्री रघुंवश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य सवाल अभी उठा रहे हैं, अभी तक तो इसका प्रावधान नहीं है , लेकिन अब आपने और कई माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है और जब माननीय सदस्य सवाल उठाएंगे, उस ओर सरकार का ध्यान खीचेंगे, तो हम लोग उस पर जरूर देखेंगे कि उसे कैसे किया जा सकता है अथवा उसका क्या उपाय है।

SHRIM ATI JAYA BACHCHAN: Sir, the Minister has said that 60 per cent of the people depend on agriculture for their livelihood. I would like to know from the hoo. Minister, through you, Sir, how many persons have been provided employment under this Act in the last two years. This Act was passed two years back by Parliament. The hon. Minister may please reply to this first.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, पिछले साल 200 जिलो में 2 करोड़ 10 लाख परिवारों को रोजगार मिला, इस साल अभी तक 3 करोड़ 37 साल परिवारों को रोजगार मिल चुका है। इस तरह 3 करोड़ 37 लाख को इस साल और 2 करोर 10 लाख परिवारों को पिछले साल रोजगार मिला।

श्रीमती जया बच्चन: सर, फिर इसका परसेंटेज कितना हुआ। 60% में यह 2 करोड़ या 3 करोड़ सब मिला कर कितना परसेंट हुआ ...(**व्यवधान**)... अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, यह डिमांड ड्रिवन कार्यक्रम है । गांव में लोगों को इसको जानकारी दी जाती है, जब वे लोग जॉब कार्ड मांगते हैं, तब उनको रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद काम जो करना चाहते हैं, उसके लिए पैटीशन लिया जाता है। उसमें से जो लोग काम करने के इच्छूक होते हैं, चूंकि इसमें फिजिकल लेबर करनी होती है, मेहनत करनी होती है, इसलिए जो असली जरूरतमंद हैं, ऐसे लोग, जिनको यदि काम न मिले, वे काम नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, उनके घरों में भुखमरी की स्थिति होजाएगी ऐसे लोग ही इस काम में आते है।

महोदय, सभी अनइम्पलॉएड इसमें आते हों, ऐसा नहीं है। इसमे वही लोग आते हैं, जो physical labour कर सकते हैं, जो जरूरतमंद है तथा जो गरीब आदमी है। हम अनुमान लगते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है और गरीबी रेखा से just ऊपर, marginal, उसके करीब के जो लोग हैं, करीब 25 फीसदी अधिक-जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनसे लगभग 25 फीसदी अधिक लोग ही काम की माँग करते हैं। इसमें आप आदमी काम की माँग करने नहीं आते।